IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS PATAN, DISTRICT– DURG (C.G.) Presiding Officer : Sheetal Nikunj Judge
[Date of Judgement : 07.03.2026] [Case No.: 453/2022] (Crime Number 41/2022, Police Station : Ranitarai, District – DURG, CG)

Complainant	State of Chhattisgarh
Represented By	Madhuri Bandhe (A.D.P.O.)
Accused	Pokhan Prasad Dewangan S/o. Let. Shankar Lal Dewangan, aged about 64 years, R/o.– Vill Bhanupratappur, Ward 9, Police Station–Bhanupratappur, District–Kanker, Chhattisgarh
Represented By	Shri Ajay Meshram Advocate

FORM - E

Date of offence	04.06.2022
Date of FIR	04.06.2022
Date of Charge sheet	07.11.2022
Date of framing of charges	28.03.2023
Date of commencement of Evidence	26.10.2023
Date on which judgement is reserved	07.03.2026
Date of the judgement	07.03.2026
Date of the Sentencing Order, if any	x

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:48:26 +0530

<u>Accused Details:</u>

Name of the accused	**Date of arrest**	**Date of release on bail**	**Offence charged with**	**Whether acquitted or convicted**	**Sentence imposed**	**Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.**
Pokhan Prasad Dewangan	23.06.2022	07.11.2022	279, 337, 304A IPC	Acquitted	x	x

<u>FORM - F</u>

<u>Index</u>

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	3
4	Admitted Facts	x
5	Prosecution Story	4-5
6	------------	x
7	------------	x
8	Reasons and findings	7 - 14
9	Sentence	x
10	Period of Detention & Set-Off	x
11	Disposal of Property	13
12	Order of Compensation	x
13	Certificate under section 428 CrPC	12
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	x
15	Copy of Judgment	1 to 14

राज्य द्वारा माधुरी बांधे ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त द्वारा श्री अजय मेश्राम अधिवक्ता।

SHEETAL NIKUNJ

Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:48:34 +0530

–:: निर्णय ::–

(आज दिनाँक 07.03.2026 को घोषित)

---

1. अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304A के तहत यह अभियोग है कि उसने दिनाँक 04.06.2022 को समय लगभग 07.00 बजे, स्थान ग्राम तेलीगुण्डरा, मोड के पास, मेन रोड, अंतर्गत थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक CG–19–BH–0647 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG–05–G–5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर आहत भूषण साहू को साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG–05–G–5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उक्त् वाहन में बैठे हरीश कुमार ढीमर की वह मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता।

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:48:42 +0530

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नही है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी इंद्रजीत साहू ने थाना रानीतराई उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया है कि वह दिनाँक 04.06.2022 को ग्राम भेलवाकूदा से अपने ट्रैक्टर इंजन क्रमांक CG-05-G-5680 जिसमें ट्राली क्रमांक CG-05-AJ-4313 में ईंट भरकर ग्राम तेलीगुण्डरा जा रहा था कि ग्राम तेलीगुण्डरा मोड़ के पास विपरीत दिशा में आ रही ट्रक क्रमांक CG-19-BH-0647 का चालक पोखन देवांगन द्वारा वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ट्रैक्टर ट्राली को साईड से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जससे ट्रैक्टर में बैठे भूषण साहू एवं ट्रक में बैठे हेल्पर हरीश कुमार ढीमर को गंभीर चोट आई है ।

4. प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान आहत हरीश कुमार ढीमर का उपचार दौरान दिनाँक 05.06.2022 को मृत्यु हो जाने से मर्ग क्रमांक 19/2022, धारा 174 जा.फौ. कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही किया गया । विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का पूछताछ कथन, निरीक्षण, घटनास्थल, जप्ती कार्यवाही से आरोपी चालक पोखन प्रसाद देवांगन के विरूद्ध अपराध

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:48:50 +0530

धारा 304(A) भा.द.सं. का पाये जाने से धारा 304(ए) भा.द.सं. जोड़ी गई । विवेचना दौरान ट्रक क्रमांक CG-19-BH-0647 के आरोपी चालक पोखन प्रसाद देवांगन को दिनाँक 23.06.2022 को गिरफ्तार किया गया । जुर्म जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी चालक पोखन प्रसाद देवांगन के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 304(ए) भा.द.सं. का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304A के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उक्त धारा के तहत अपराध विवरण की रचना कर पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार कर प्रतिरक्षा किए जाने की माँग की।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयँ को निर्दोष होना और बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया।

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:48:58 +0530

7. **प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:-**

1. क्या अभियुक्त ने दिनाँक 04.06.2022 को समय लगभग 07.00 बजे, स्थान ग्राम तेलीगुण्डरा, मोड के पास, मेन रोड, अंतर्गत थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक CG-19-BH-0647 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG-05-G-5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर आहत भूषण साहू को साधारण उपहति कारित की?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG-05-G-5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उक्त वाहन में बैठे हरीश कुमार ढीमर की वह मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता?

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:49:05 +0530

–:: साक्ष्य की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्ष ::–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्षः–

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नो का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों को साबित करने का भार अभियोजन पर है।

10. प्रकरण में विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक रेमन साहू (अ.सा.क्र.6) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही का विस्तृत वर्णन करते हुये बताया गया है कि वह वर्ष 2021 से 2024 तक थाना रानीतराई में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त पदस्थापना दौरान दिनाँक 04.06.2022 को प्रार्थी इंद्रजीत साहू की शिकायत पर आपके विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर FIR प्रदर्श पी–1 दर्ज किया गया । उक्त दिनाँक को ही उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–2) निरीक्षण पश्चात तैयार किया। आहत भूषण साहू का मेडिकल मुलाहिजा हेतु भेजा गया ।

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:49:16 +0530

प्रकरण में विवेचना दौरान ज्ञात हुआ कि दुर्घटनाकारित ट्रक में ही उक्त ट्रक का हेल्पर हरीश कुमार निषाद ट्रक में फंसकर दब गया जिससे वह घायल हो गया । ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । ट्रक का चालक ट्रक से कूद गया था । प्रकरण में हरीश कुमार निषाद की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न किया एवं मृतक का शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम चौकी जेवरासिरसा द्वारा कराया गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त करप्रकरण में संलग्न किया गया । विवेचना दौरान उसके द्वारा प्रार्थी इंद्रजीत साहू से दिनाँक 20.06.2022 को गवाहों के समक्ष नीले रंग का ट्रैक्टर क्रमांक CG–05–G–5680 जिसमें ट्रॉली क्रमांक CG–05–AJ–4313 एवं उक्त वाहन का आर.सी. बुक की जप्ती कार्यवाही की गई जो प्रदर्श पी–5 है। दिनाँक 23.06.2022 को आरोपी पोखन प्रसाद देवांगन से गवाहों के समक्ष एक ट्रक नीले एवं मेहरून कलर का ट्रक CG–19–BH–0647 उक्त वाहन का आर.सी. बुक ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का फिटनेस, वाहन का माल परमिट और बीमा दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 तैयार किया गया। विवेचना दौरान उसके द्वारा गवाह पवन कुमार निषाद, इंद्रजीत साहू, वेदव्यास निषाद, भूषण साहू, गिरवर निषाद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया । जप्तशुदा वाहनों का

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:51:10 +0530

मेकेनिकल मुलाहिजा कराया गया । प्रकरण में मृतक हरीश निषाद के मृत होने पर धारा 304–ए भा.द.सं. जोड़ी गई । आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

11. प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुब्रत नंदी (अ.सा.क्र.2) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया गया है कि वह अक्टूबर 2027 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीतराई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है । उक्त पदस्थापन दौरान दिनाँक 04.05.2022 को थाना रानीतराई के आरक्षक भानूप्रताप 1122 के द्वारा भूषण को मुलाहिजा हेतु लाया गया था । आहत का ईलाज करने के दौरान उसने पाया कि आहत के बायें घुटने पर फटा हुआ घाव जिसका आकार 1 cm X 2 mm X 2mm थी । आहत को सामान्य प्रकृति की चोट आई थी तथा उसके मुलाहिजा करने के 3 घंटे पूर्व आई थी । उक्त संबंध में साक्षी ने मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 प्रकरण में पेश किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहत को आई

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:51:18 +0530

चोटें सामान्य प्रकृति की थी, वह धरातल पर गिरने से भी आ सकती हैं।

12. प्रार्थी इंद्रजीत साहू (अ.सा.क्र.1) के द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षण में अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हुए घटना अपने कथन कराये जाने के दिनाँक से 1 वर्ष पूर्व की बताया है । साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना दिनाँक को ग्राम तेलीगुण्डरा के पास एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आहत भूषण साहू को चोट लगी थी । साक्षी ने उक्त घटना ट्रक एवं ट्रैक्टर के मध्य होने का कथन किया है । साक्षी ने उक्त ट्रक एवं ट्रैक्टर का नंबर ज्ञात नहीं होने का कथन किया है । साक्षी ने यह भी ज्ञात नहीं होना बताया है कि उक्त घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई थी । साक्षी ने FIR प्रदर्श पी–1 तथा नजरी नक्शा प्रदर्श पी–2 के अ से अ भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है । अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष प्रदर्श पी–2 का नजरी नक्शा तैयार किये थे ।

13. अभियोजन साक्षी वेदव्यास साहू (अ.सा.क्र.2) के द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षण में अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हुए घटना अपने कथन कराये जाने के दिनाँक से 1 वर्ष पूर्व की बताया है । साक्षी ने यह

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:51:27 +0530

कथन किया है कि घटना दिनाँक को ग्राम तेलीगुण्डरा के पास एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आहत भूषण साहू को चोट लगी थी। साक्षी ने उक्त घटना ट्रक एवं ट्रैक्टर के मध्य होने का कथन किया है। साक्षी ने उक्त ट्रक एवं ट्रैक्टर का नंबर ज्ञात नहीं होने का कथन किया है। साक्षी ने यह भी ज्ञात नहीं होना बताया है कि उक्त घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई थी।

14. अभियोजन साक्षीगण भूषण साहू (अ.सा.क्र.3) तथा गिरवर निषाद (अ.सा.क्र.4) जप्ती कार्यवाही से संबंधित कथन करते हैं। उक्त साक्षीगण ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–5 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है किन्तु यह कथन भी किया है कि उनके समक्ष किसी प्रकार की जप्ती कार्यवाही नहीं हुई थी।

15. अभियोजन साक्षी हनुमंत निषाद (अ.सा.क्र.5) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है।

16. **हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक अभियुक्त के द्वारा चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षीयों के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे**

SHEETAL NIKUNJ
Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:51:34 +0530

कथन नहीं किया गया है। प्रकरण के सभी साक्षीगण ने आरोपी को पहचानने से इंकार किया है। प्रकरण के किसी भी साक्षी ने उक्त घटना को देखे जाने का कथन नहीं किया है । प्रकरण के किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त घटना आरोपी पोखन प्रसाद देवांगन की लापरवाही के कारण घटित हुई हो। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीयों के कथनों से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा दिनाँक 04.06.2022 को समय लगभग 07.00 बजे, स्थान ग्राम तेलीगुण्डरा, मोड के पास, मेन रोड, अंतर्गत थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक CG–19–BH–0647 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG–05–G–5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर आहत भूषण साहू को साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक CG–05–G–5680 को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उक्त् वाहन में

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:51:41 +0530

बैठे हरीश कुमार ढीमर की वह मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता।

17. परिणामतः अभियुक्त पोखन प्रसाद देवांगन को उसके विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304A के आरोप से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437ए द.प्र.सं. के अनुपालन में निर्णय दिनाँक से आगामी छःमाह तक प्रवर्तन में रहेगा एवँ छःमाह पश्चात स्वमेव भारमुक्त समझा जावेंगा।

19. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एक नीले रंग का ट्रैक्टर इंजन क्रमांक CG–05–G–5680, एक नीले कलर की ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक CG–05–AJ–4313 एवं आर.सी. बुक तथा एक ट्रक ब्लू एवं मेहरून कलर का क्रमांक CG–019–BH–0647, आर.सी. बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा पूर्व से ही सुपुर्दनामे पर है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधी पश्चात अपील न होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे । अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

SHEETAL NIKUNJ

Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ
Date: 2026.03.07 15:51:50 +0530

20. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि बाबत् धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण–पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय दिनाँकित एवँ हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:51:58 +0530

(शीतल निकुंज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:52:04 +0530

(शीतल निकुंज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

स्थानः– पाटन

दिनाँकः–07.03.2026

अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र

(अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.	**अभियुक्त का नाम**	–	पोखन प्रसाद देवांगन, पिता स्व. शंकर लाल देवांगन, उम्र 64 वर्ष, साकिन– ग्रमा भानुप्रतापपुर, वार्ड 9, थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)
2.	**गिरफ्तारी दिनाँक**	–	23.06.2022
3.	**जमानत दिनाँक**	–	07.11.2022
4.	**पुलिस अभिरक्षा**	–	निरंक
5.	**न्यायिक अभिरक्षा अवधि**	–	निरंक
6.	**धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई छूट की पात्रता**	–	निरंक

स्थान: पाटन

दिनाँक: 07.03.2026

SHEETAL NIKUNJ Digitally signed by SHEETAL NIKUNJ Date: 2026.03.07 15:52:13 +0530

(शीतल निकुंज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन
जिला– दुर्ग (छ.ग.)